



कार्यालय अधीक्षा अभियन्ता

नगरीय विद्युत वितरण मण्डल (तृतीय) के स्को, बिजलीघर, परेड, कानपुर

Email: kesdogm3@gmail.com

पत्रांक: 162/एमओसीओ/नविओविओमओ-तृतीय/2015

दिनांक: 13-8-2015

अनापत्ति प्रमाणपत्र

एतद्वारा श्रीमती रुपा गोयल पत्नी श्री सुरेश कुमार गोयल, निवासी 486-डी0 पोखरपुर, लाल बंगला कानपुर के द्वारा आवेदित मुख्यण्ड सं0 M-02 ब्लॉक चक्करी पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र की स्वीकृति के लिये कानपुर विकास प्राधिकरण (भवन विभाग), मोतीझील कानपुर के पत्रांक 761/भव/15-16 दिनांक 15.07.2015 के सम्बंध में अस्थाई अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्नलिखित प्रतिबन्धों सहित निर्गत किया जाता है।

1. विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रस्तर 4.9 के (तृतीय संशोधन) के अनुपालन में ही उपभोक्ता/आवेदक/बिल्डर को समस्त निर्माण कार्य कराना होगा।
2. परिसर के निकट विद्युत लाइन न होने की स्थिति में समस्त लाइन डालने का व्यय उपभोक्ता द्वारा व्यय होगा।
3. परिसर में यदि कोई खम्भा या लाइन पहले से मौजूद हो तो उसे हटाने का समस्त व्यय उपभोक्ता द्वारा देय होगा।
4. परिसर में यदि कोई विद्युत बकाया देय हो तो बकाया राशि भुगतान किये जाने के उपरान्त ही विद्युत संयोजन दिया जायेगा।
5. सम्बन्धित पोषक/उपकेन्द्र यदि अतिभारित होगा तो उपकेन्द्र की भार वृद्धि/नया उपकेन्द्र/पोषक बनाने पर होने वाला समस्त व्यय विकासकर्ता द्वारा देय होगा।
6. नया उपकेन्द्र बनाने के लिये परिसर के अन्दर ही उपकेन्द्र बनाने के लिये विकासकर्ता को भूमि उपलब्ध करानी होगी तथा मानचित्र में स्थान दर्शाया होगा।
7. परिसर विवादित होने की स्थिति में विद्युत संयोजन नहीं दिया जायेगा।

(जी0सी0आओ)

अधीक्षण अभियन्ता(वि0)-तृतीय

पत्रांक: 162/एमओसीओ/नविओविओमओ-तृतीय/2015

दिनांक: 13-8-2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कानपुर विकास प्राधिकरण (भवन विभाग), मोतीझील कानपुर के पत्रांक 761/भव/15-16 दिनांक 15.07.2015 के अनुपालन में।
2. अधिशासी अभियन्ता (वि0)-हैरिसगंज, कानपुर।
3. श्रीमती रुपा गोयल पत्नी श्री सुरेश कुमार गोयल, निवासी 486-डी0 पोखरपुर, लाल बंगला कानपुर।

(जी0सी0आओ)

अधीक्षण अभियन्ता(वि0)-तृतीय